न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2685–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–7–16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राघौगढ जिला गुना प्रकरण कमांक 10/अपील/2015–16.

फूलसिंह पुत्र बिहारी लाल
निवासी ग्राम करैना
तहसील मधुसूदनगढ़ जिला गुना ....आवेदक

विरूद्ध

लक्ष्मीबाई पत्नी ओमप्रकाश मीना
निवासी ग्राम करैना
तहसील मधुसूदनगढ़ जिला गुना ....अनावेदक

श्रीमती पूर्णिमा निगम, अभिभाषक, आवेदक
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/7/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, राघौगढ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, मधुसूदनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–12–15 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, राघौगढ़ जिला गुना के समक्ष दिनांक 19–1–16 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया ।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–7–16 को आदेश पारित कर आवेदक का अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र अस्वीकार करते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, इस कारण तहसीलदार के आदेश की जानकारी आवेदक को नहीं हो सकी, और जानकारी के दिनांक से समय–सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर अपील निरस्त करने से तहसीलदार द्वारा आवेदक की भूमि से रास्ता दिये जाने संबंधी आदेश अंतिम हो गया है, जिससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति हुई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को तहसीलदार द्वारा सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है, इसलिए विलम्ब का कारण समाधान कारक नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया था, अतः आवेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को समय–सीमा जैसे तकनीकी आधार पर प्रकरण का निराकरण नहीं कर, गुण–दोष पर करना चाहिए था । वैसे भी प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं कर समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया

जाये कि वे आवेदक की ओर से उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मान्य कर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, राघौगढ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–16 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर